



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274394
CG-DL-E-11072026-274394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3577]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3577]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

का.आ. 3739(अ).—"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 (2025 का 11) की धारा 22 की उप-धारा (2) के साथ पठित "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी परिणियम, 2025 के परिणियम 8 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 16 जुलाई, 2025 को प्रकाशित भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3247(अ), दिनांक 16 जुलाई, 2025 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में कार्यकारी परिषद के गठन से संबंधित पैराग्राफ 2 में क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं, अर्थात्:—

“14. इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल के निदेशक और पदेन डीन — सदस्य, पदेन,

15. निम्नलिखित स्कूलों के डीन (पदेन), चक्रानुक्रम द्वारा तीन वर्षों के लिए - सदस्य;

(क) प्रो. सास्वत नारायण बिस्वास, डीन, सहकारी प्रबंध स्कूल; और

(ख) प्रो. प्रमोद कुमार सिंह, डीन, शासन, विकास एवं नीति स्कूल।“

[फा.सं. के-17/1/2025-सहकारिता]

आनन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव

नोट. – मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 3247(अ), दिनांक 16 जुलाई, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा उसमें का.आ. 2048(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2026

S.O. 3739(E).—In pursuance of statute 8 of the “Tribhuvan” Sahkari University Statutes, 2025, read with sub-section (2) of section 22 of the “Tribhuvan” Sahkari University Act, 2025 (11 of 2025), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Cooperation, number S.O. 3247 (E), dated the 16th July, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th July, 2025, namely: —

2. In the said notification, in paragraph 2 relating to the constitution of the Executive Council, after serial number 13 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“14. Director and *ex-officio* Dean of the Institute of Rural Management Anand School – Member, *ex-officio*;

15. Deans of the following Schools (*ex-officio*), by rotation, for three years – Members;

(a) Prof. Saswata Narayan Biswas, Dean, School of Co-operative Management; and

(b) Prof. Pramod Kumar Singh, Dean, School of Governance, Development and Policy.”

[F.No. K-17/1/2025-MoC]

Anand Kumar Jha, Jt. Secy.

Note. – The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3247(E), dated the 16th July, 2025 and was last amended *vide* number S.O. 2048(E), dated the 22nd April, 2026.